न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00345RAAJodhpur2019-183RTA225 Jodharam ors Vs Omprakash etc

01. जोधाराम पुत्र श्री पोकरराम
02. बाबुराम पुत्र श्री हरचंदराम
    दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण- पल्ली, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मल्लूराम
2. नारायणराम पुत्र स्व. श्री मल्लूराम
3. देवी धर्मपत्नी स्व. श्री मल्लूराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- राडिया बेरा, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
4. सुखराम पुत्र श्री हरचंदराम जाति विश्नोई, निवासीगण- पल्ली, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
5. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा औसियां
6. तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 ओमप्रकाश व अन्य बनाम जोधाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री किशनाराम विश्नोई अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो संख्या छः

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 23 नवंबर 2023

23-11-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 ओमप्रकाश व अन्य बनाम जोधाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 54 रकबा 69 बीघा 04 बिस्वा ग्राम राडियाबेरा तहसील लोहावट में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो संख्या चार /अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 57 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए,बी,सी,डी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध है, जिसका जिक्र मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं.57 की उतर-पश्चिमी सीमा के सहारे मार्क ई.एफ. रास्ते दिये जाने का निवेदन किया जो लघुतम एवं निकटतम है। अपीलांट्स द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उन्हें रास्ते की प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दिलायी

23-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्ष के हित को देखते हुए मामले का निस्तारण किया है। अपीलार्थी के हित को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया तथा अपीलार्थी की भूमि के मध्य में से रास्ता दिया जाकर उनकी भूमि को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 ओमप्रकाश व अन्य बनाम जोधाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 को खारिज फरमाया एवं प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन से रास्ते में आने वाली भूमि में प्रतिकर के रूप में भूमि दिलाये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लोहावट से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसर प्रतिकर राशि अपीलांट्स को अदा किये जाने के निर्देशो के साथ मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 14.03.2019 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 56 में आवागमन हेतु खसरा नं. 57 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है,

23-11-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसकी लंबाई केवल 20-25 फीट ही बतायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के लिए नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राशि अपीलांट/अप्रार्थी को अदा किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार प्रतिकर राशि अपीलांट को अदा कर दिये जाने से भूमि के बदले भूमि हेतु आदेश दिया जाना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 87/2019 ओमप्रकाश व अन्य बनाम जोधाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-11-23

मंगलाराम पूनिया

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर